

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

कमांक ⁷⁶³ / दो-11-01 / 2004(भाग-2),

आ दे श

रीवा, दिनांक ²² अक्टूबर, 2024

माननीय उच्चतम न्यायालय के Inward No 41775/PIL(E)/2023 Dated 28-08-2024 सूर्यकांत पाठक विरुद्ध श्री गोकर्ण प्रसाद पाठक के संबंध में जांचकर्ता अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन कमांक-86/स्टेनो/2024 रीवा, दिनांक 18.10.2024 तथा स्थानांतरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार **तृतीय श्रेणी** कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाकर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को	रिमार्क
1	श्री गोकर्ण प्रसाद पाठक, रीडर ग्रेड-1	निष्पादन लिपिक, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा (डॉ० श्री मुकेश मलिक) के न्यायालय से	प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर (श्रीमती भारती केशरी कश्यप) जिला रीवा के न्यायालय में	श्रीमती राधा डुडवे के स्थान पर
2	श्रीमती राधा डुडवे, स0ग्रे0-3	प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर (श्रीमती भारती केशरी कश्यप) जिला रीवा के न्यायालय से	अतिरिक्त लिपिक, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर (श्रीमती भारती केशरी कश्यप) जिला रीवा के न्यायालय में	
3	श्री श्रीलाल पटेल, सहायक ग्रेड-2	प्रस्तुतकार, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश त्योंथर (रिक्त न्यायालय) जिला रीवा	निष्पादन लिपिक, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा (डॉ० श्री मुकेश मलिक) के न्यायालय में	श्री गोकर्ण प्रसाद पाठक के स्थान पर
4	श्री पंकज दुबे, स0ग्रे0-3	प्रतिलिपि एवं फाईलिंग अनुभाग मऊगंज, जिला रीवा	साक्ष्य लेखक, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मऊगंज (श्री क्षितिज शैलेन्द्र पंवार) जिला रीवा	सम्पूर्ण लिपिकीय कार्य का संपादन करेंगे।

			के न्यायालय में	
5	श्री कुलदीप सिंह, स0ग्रे0-3	साक्ष्य लेखक, न्यायालय प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, मऊगंज, जिला रीवा (श्री आदेश कुमार जैन) के न्यायालय से	साक्ष्य लेखक, न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हनुमना (श्री विनोद चौधरी) जिला रीवा के न्यायालय में	श्री जमुना सोनकर के स्थान पर
6	श्री जमुना सोनकर, स0ग्रे0-3	साक्ष्य लेखक, न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हनुमना (श्री विनोद चौधरी) जिला रीवा के न्यायालय से	साक्ष्य लेखक, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर (श्री अल्लमश रहमान) एवं न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर (श्रीमती नेहा रहमान) जिला रीवा के न्यायालय में	<u>नोट- श्री जमुना सोनकर आधे-आधे दिवस दोनों न्यायालयों में कार्य करेंगे।</u>
7	श्री शिवमूर्ति शुक्ला, स0ग्रे0-3	साक्ष्य लेखक, पन्द्रहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय)	साक्ष्य लेखक, न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर, जिला रीवा (श्री अमित कुमार शर्मा) के न्यायालय में	रिक्त स्थान पर

नोट :-

1. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
2. श्री कुलदीप सिंह, स0ग्रे0-3, वर्तमान पीठासीन अधिकारी के कार्यमुक्त होने के तत्काल पश्चात पदभार ग्रहण करेंगे।
3. श्री श्रीलाल पटेल, स0ग्रे0-2 अपना सम्पूर्ण प्रभार श्री सत्यनारायण राठौर, निष्पादन लिपिक न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश त्योंथर जिला रीवा को सौंपकर तत्काल पदभार ग्रहण करेंगे।

हस्ताक्षर


**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0**

पृ. क्रमांक. 5580 /
दो-11-01 / 2004 (भाग-2),

रीवा, दिनांक 22 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि:-

1. न्यायालय-प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा।
2. न्यायालय-पन्द्रहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय)
3. न्यायालय- प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0
4. न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश त्योंथर, जिला रीवा।
5. न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हनुमना जिला रीवा।
6. न्यायालय-प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर, जिला रीवा।
7. न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर, जिला रीवा।
8. स्टेनो टू, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. संबंधित कर्मचारीकी ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय रीवा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. डी0एस0ए0 / एस0ए0 कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति एच.आर.एम.एस. / ई.आर.पी. साफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रेषित।
12. लेखापाल / देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

